

# प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नौशाहनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार  
पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)  
फोन- 7217028797, 7217029220 फैक्स- 0131-24121155  
E-Mail: rmmzn@prathamaupbank.com

## नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक द्वारा अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकाकामक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जैसा है जो कुछ भी है (As is where is what is basis) के आधार पर प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के राख पड़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का नियंत्रण लिया है।

क्र. सं	शाखा का नाम	क्रमी का नाम (सम्पत्ति स्थानी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजेंस मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा रेलपार जिला शामली	श्रीमति बबली पत्नी श्री घनश्याम एवं श्री घनश्याम पुत्र श्री जनार्दन गिरि	आवासीय मकान विथित है मकान संख्या 555 वार्ड नं 3, गौहल्ला गाँवाल जातन परगना एवं ताहरील शामली में विथित है, क्षेत्रफल 77.44 वर्ग मीटर। रियाएः पूः 48' 2'', पाृः 46' 8'', ऊ०ः 16' 7'', द००ः 17' 10'', बातपांडी पूर्व: श्री गुजरामोहन का घर, परिचय: श्री इश्याम गिरि का घर, उत्तर: श्री सुमेश गिरि एवं ग्रेग गिरि का घर, दक्षिण: सड़क 7.6'	Rs. 1495057.00 + व्याज एवं अन्य खर्च 01.01.2023 से	Rs. 2100000/-	Rs. 210000/-	दिनांक 06.02.2024, मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक,
2.	शाखा रेलपार जिला शामली	श्रीमति नगिता पत्नी श्री विक्रम सिंह	आवासीय मकान विथित है मकान संख्या 419ए वार्ड नं 9, मास्टर ब्रह्म रिहावाली गाँवी गौहल्ला रेलपार परगना एवं ताहरील शामली में विथित है, क्षेत्रफल 52.16 वर्ग मीटर। रियाएः पूः 15' 2'', पाृः 15' 2'', ऊ०ः 37'', द००ः 37'', बातपांडी पूर्व: श्री ओमपाल का घर, परिचय: रास्ता 8', उत्तर: श्री ओमपाल का घर, दक्षिण: श्रीमति छोटो का प्लॉट।	Rs. 1393951.02 + व्याज एवं अन्य खर्च 31.07.2023 से	Rs. 1800000/-	Rs. 180000/-	अंकित विहार पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शास्त्रा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तेः (1) उक्त सम्पत्तियों उपर विद्ये गये विजवां गुल्म रो कर पर नहीं बैठी जायेगी। सम्पत्तियों द्वारा अधिक बोली लगाने वाले को बैठी जायेगी। (2) नीलामी गैंग गांग देने वाले व्यक्ति को अनेक धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की राशीकृत शाखा के वाले में देय भूगतान आदेश/नौंग झापड़ जॉर्ट नीलामी लिपोजिट (इ०एम०डी०) के रूप में साम्बन्धित शाखा प्रबंधक के पास नीलामी की दिनांक से एक वृद्धि राशि 5.00 बजे तक जमा करायी जायेगी। (3) नीलामी समाप्त समय पर तबसे अधिक बोली लगाने वाले वो बोली की 25 प्रतिशत राशि भूगतान आदेश/नौंग झापड़ द्वारा प्रारम्भिक लिपोजिट के रूप में जना करानी होगी अन्यथा उसकी इ०एम०डी० जमा कर ली जायेगी। (4) बोली की रोप राशि विक्रय की रसीदकृति के परवात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनको ज्ञान की गयी प्रारम्भिक लिपोजिट राशि जमा कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं गी जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए छोटा अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के लक्ष्यवाच में देय सभी घूनिसिपल/टेक्स/विजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भूगतान की पूर्ण जिम्मेदारी छोटा की होंगी। रसायन ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी छोटा के द्वारा ही यहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली न्यूनिकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि छोटी विक्रय की तारीख से पूर्य बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश यांचित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) योली कृती की अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्पन्नित शाखा के पक्ष में देय भूगतान आदेश/नौंग झापड़ अर्नेस्ट नीली लिपोजिट (इ०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व राशि 5.00 बजे तक सम्पन्नित शाखा प्रबंधक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियों जमा है, जहां है, जितना है जमा है के आधार पर बैठी जायेगी। (11) छोटी गाँवी दाताओं को सूचना दी जाती है कि लिनांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (व्याज एवं अन्य खर्च सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दी रेसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और वही हुए राशि यदि कोई है, व्याज एवं खर्च सहित परगूल की जायेगी।

दिनांक: 05.01.2024

स्थान: मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)